


अधोहस्ताक्षरी द्वारा केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा (राजस्थान) के लिए सुरक्षा कार्य सेवाएँ ठेके पर प्रदान करने हेतु उन पंजीकृत संस्थाओं जिनके पास इस कार्य को करने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस/ अनुज्ञापत्र हो, से सीलबन्द निविदाएं दिनांक 18.12.2020 को प्रातः 01: 00 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं निविदा सीलबंद लिफाफे में जिस पर "अनुबन्ध आधार / ठेके पर सुरक्षा कार्य-सेवा प्रदान करने हेतु निविदा" उल्लेखित हो, भेजी/प्रस्तुत की जावे। प्राप्त निविदाएं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समिति के समक्ष दिनांक 19.12.2020 को प्रातः 11:00 बजे खोली जाएगी।

1. निविदाओं की राशि में काट-छांट नहीं होनी चाहिए अंको को लाइन से काटकर दुबारा साफ अंको में लिखा जावे। कंटिंग को पूर्ण हस्ताक्षर व दिनांक डालकर प्रमाणित किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा रद्द कर दी जावेगी।
2. अधोहस्ताक्षरी निम्नतम दर की निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है किसी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
3. निविदा के साथ रुपये 15000/- अंके रुपये पंद्रह हजार का बैंक ड्राफ्ट जो कि 15000/- अंके रुपये पंद्रह हजार का डिमाण्ड ड्राफ्ट केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा के नाम देय संलग्न किया जाना आवश्यक है। निविदा स्वीकार किये जाने पर प्रतिभूति जमा राशि के रूप में एक वर्ष की सेवाओं की राशि का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा उसमें यह राशि समायोजित करके शेष राशि जमा करानी होगी। यदि निविदा स्वीकार हो जाने पर निविदादाता सेवाएँ प्रदान करने में उद्यमरत रहता है तो निविदा के साथ प्राप्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी एवं अन्य संस्थान को कार्यादेश प्रदान कर दिया जाएगा। निविदा स्वीकार न होने की दशा में यह राशि लौटा दी जावेगी।
4. वे निविदाएं जो नियम एवं शर्तों के अनुरूप अथवा मान्य नहीं होंगी निरस्त कर दी जावेगी।
5. निविदा के साथ संस्था के नवीनीकृत पंजीकरण की सत्यापित छायाप्रति एवं संस्था ने जहाँ पर अपनी कार्यसेवाएँ प्रदान की हैं की सूची मय अधिकारी का नाम पूर्ण पते एवं फोन क्रमांक के संलग्न करे।
6. निविदा के साथ अपना कार्मिक विभाग, सेवाकर, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा सम्बंधित पंजीयन प्रमाण पत्रों एवं फर्म के पेन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।
7. कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं सेवाकर आदि की राशि संबन्धित विभाग में प्रति माह समय से जमा करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित एजेंसी का होगा विद्यालय इस संदर्भ में उत्तरदायी नहीं होगा। यदि एजेंसी द्वारा यह राशि समय से जमा नहीं करवायी गई एवं किसी प्रकार की पेनल्टी होती है तो उसकी देयता का दायित्व संबन्धित फर्म का होगा।



- फर्म ने यह राशि समय से संबंधित विभाग में जमा करवा दी है इसके प्रमाण पत्र की सत्यापित छांया प्रति आपको विद्यालय में अगले माह के बिल भुगतान से पूर्व प्रतिमाह प्रस्तुत करनी होगी।
8. निविदा स्वीकार होने पर आपके भुगतान में से नियमानुसार स्रोत कर आयकर की कटौती की जावेगी अतएव फर्म का पैन क्रमांक सूचित करें।
 9. निविदा की स्वीकृति पर 500/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्न पेपर पर विद्यालय की ओर से ऐजेन्सी को सेवा प्रदान करने के संदर्भमें केंद्रीय विद्यालय संगठन नियमनुसार अनुबन्ध करना होगा इसका प्रारूप संलग्न है उसमें संलग्न शर्तों एवं निबंधनों का भी पूर्ण उल्लेख होगा।
 10. आपको प्रतिमाह दिये जाने वाले बिल पर या बिल के साथ यह प्रमाण पत्र देना होगा कि आपके द्वारा लगाये गये कर्मचारियों को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम न्यूनतम वेतन जो भी इस क्षेत्रानुसार दोनों में अधिकतम हो, की दर से किया गया है।
 11. सुरक्षाकर्मी की उपस्थिती के संदर्भ में एक उपस्थिति पंजिका रखी जायेगी जिसमें प्रतिदिन पारी समय का उल्लेख रहेगा कि किस दिन कौनसा सुरक्षाकर्मी किस पारी में सेवापर उपस्थित था, किस समय पर आया एवं गया।
 12. आपका कोई भी सुरक्षाकर्मी विद्यालय परिसर में खाना बनाना, कपड़े धोने, नहाने, सोने, धूम्रपान, गुटखा खाने का कार्य एवं अन्य अवांछित कार्य/ गतिविधियाँ नहीं करेगा।
 13. कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों के नाम, पिता /पति का नाम, स्थानीय पता, स्थायी पता मय फोटो आई डी प्रूफ एवं पुलिस द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विद्यालय में अभिलेख हेतु तुरन्त प्रस्तुत करना होगा।
 14. (अ) फर्म का भारत सरकार /राज्य सरकार /सैनिक कल्याण बोर्ड से पंजीकरण अनिवार्य है।
(ब) फर्म का श्रम विभाग से पंजीकरण होना अनिवार्य है।
(स) फर्म के रजिस्ट्रेशन से संबन्धित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ लगाना अनिवार्य है।
 - 15- अगर सभी/किन्हीं दो फर्मों की दरें एक समान पायी जाती है तो सर्वप्रथम फर्मों का निर्णय/चयन उनके वांछित दस्तावेज, कार्यानुभव एवं वित्तीय प्रपत्रों के आधार पर समिति /कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा।
 - 16-सुरक्षाकर्मियों को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संबंधित क्षेत्र के न्यूनतम नवीनतम वेतन जो भी दोनों में अधिकतम हो का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। इस लिए दरें उपरोक्त अनुसार भरे, अगर आपके द्वारा उपरोक्त अनुसार मजदूरी दरें नहीं भरी गयी तो आपका टेण्डर मान्य नहीं होगा।
 17. निविदा के संदर्भ में अन्य शर्तें एवं निबन्धन सूचनार्थ एवं पालनार्थ संलग्न हैं। कृपया निविदा के समस्त पृष्ठ मय हस्ताक्षर व फर्म की मोहर के निविदा के साथ संलग्न करें एवं दरें स्पष्ट रूप से भरें।
 18. सभी फर्म अपनी प्रत्येक निविदा के लिए तकनीकी निविदा (पंजीकरण/अनुमति/लाइसेन्स सम्बन्धी दस्तावेज एवं विवरण) एवं वित्तीय निविदा(फर्म द्वारा सम्बंधित कार्य की दर) अलग-अलग लिफाफों में भरकर अनिवार्यतः जमा करेंगे।
 19. यदि कोई भी फर्म समिति द्वारा तकनीकी निविदा में अयोग्य पायी जाती है तो ऐसी फर्म की वित्तीय निविदा पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा एवं उस लिफाफे को नहीं खोला जाएगा।

भवदीय

(उमा शंकर विजय)

प्राचार्य